राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 571/2014/भीलवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–II, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नाकोड़ा पैट्रोलियम प्रा0 लि0,
बाजार नं.–2, भीलवाड़ा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 54/वैट/13–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से रबर गुड्स का आयात कर परिवहनित किया जा रहा था। परिवहन के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2011 को जांच किये जाने पर माल के बिल बिल्टी एवं अनिवार्य घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत किया गया था, परन्तु संलग्न घोषणा पत्र विभाग के अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2009 को जारी होने से इसकी वैधता अवधि दिनांक 16.02.2011 को समाप्त हो जाने से अवधि पार घोषणा पत्र को संलग्न किया जाना अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन माना गया एवं शास्ति का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि जारी घोषणा पत्र में प्रथमतः वैधता की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित नहीं की गई थी एवं द्वितीय यह मत दिया कि अवधि पार घोषणा पत्र प्रस्तुत होना केवल एक तकनीकी भूल है एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों के आधार पर अवधि पार घोषणा पत्र पर शास्ति आरोपित करना अविधिक माना एवं अपील स्वीकार की है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से कथन किया गया कि अवधि पार घोषणा पत्र विधिक रुप से मान्य नहीं होने से अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार करने में भूल की है, अतः कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति को बहाल करने का कथन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधि एवं न्यायसम्मत है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा परिवहन के समय समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे एवं जारी घोषणा पत्र पर वैधता अवधि अंकित नहीं थी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण में केवल यह बिन्दु है कि परिवहन के दौरान संलग्न किये गये घोषणा पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो गई थी ऐसी स्थिति में शास्ति का आरोपण किया जाना विधि एवं न्यायसम्मत है अथवा नहीं। इस बिन्दू पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स.वा. क.अ., एई, जोधपुर बनाम जे.के.इण्ड., कांकरोली (2002)1RTR 26 में अवधि पार घोषणा पत्र को केवल एक तकनीकी भूल मानते हुये शास्ति आरोपण को अविधिक घोषित किया गया है एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने का निर्णय लिया जाना विधिसम्मत होने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य